कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह (म.प्र.)

"कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद (संविदा) पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति"

पद का विवरण	आरक्षण की स्थिति	शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं तकनीकी योग्यता	आयु सीमा	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर (संविदा) मानदेयः– रू. 19500/– (उन्नीस हजार पॉच सौ रू.मात्र) प्रतिमाह। (पे–मेट्रिक्स लैवल 4 अनुसार)	वर्ग: अनारक्षित – पद संख्या: 01 कुल: 01	1. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता। 2. डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी। 3. दस्तावेजों की स्केनिंग। 4. एम.एस.–ऑफिस तथा डाटावेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव। 5. शैक्षणिक योग्यता 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। 6. न्यूनतम तकनीकी योग्यता CPCT परीक्षा उत्तीर्ण वैध स्कोर कार्ड सहित। 7. मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी।	01.01.2026 को 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। (महिलाओं एवं शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु में छूट के प्रावधान भी लागू होंगे।)	**31.08.2026**

- आवेदन पत्र **https://mponline.gov.in** पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे।
- आवेदन की अंतिम तिथि **31.08.2026** है।
- आवश्यकतानुसार रिक्त पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की मेरिट सूची 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी।
- विस्तृत जानकारी, नियुक्ति की शर्तें, चयन प्रक्रिया **https://damoh.nic.in** एवं **https://mponline.gov.in** पर उपलब्ध है।

अपर कलेक्टर
जिला–दमोह

लोक सेवा प्रबंधन विभाग, कक्ष क्र. 17, भू-तल, कलेक्ट्रेट, जिला – दमोह (म.प्र.) 470661
e-Mail ID : loksevadam@mp.gov.in

"कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की सामान्य शर्तें"

संविदा अवधिः—

1. संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगी।
2. आयु दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष से 40 तक। महिलाओं एवं शासकीय /उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी)
3. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

मानदेय/ पारिश्रमिकः—

4. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई मानदेय पे—मेट्रिक्स लेवल 4 अनुसार रू. 19500/— (उन्नीस हजार पॉच सौ रूपयें मात्र) देय होगा।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।
6. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

अवकाश :—

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचरियों को प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में निर्धारित है। उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियो की स्वीकृति से किया। जायेगा बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नही होगा।

एन0पी0एस0 कटौत्राः—

8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

अन्यः—

9. इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।
10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जायेगा।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सके। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जावेगा।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होगें।
13. अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
14. मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।

अपर कलेक्टर
जिला-दमोह

15. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर दमोह का निर्णय बंधनकारी होगा।
17. उपरोक्त शर्तो के साथ संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पर सामान्य प्रशासन विभाग म0प्र0 शासन की संविदा नीति दिनांक 22 जुलाई 2023 के उपबंध लागू होगे। उपरोक्त शर्तो एवं सामान्य प्रशासन विभाग की नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंधो के मध्य के किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति मे सामान्य प्रशासन विभाग की संविदा नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंध मान्य होगे।

अपर कलेक्टर
जिला–दमोह

"कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद (संविदा) हेतु चयन प्रक्रिया"

पात्र आवेदकों की सूची को सी.पी.सी.टी. के वैध स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी :–

1. सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो।
3. यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो हिन्दी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।
4. हिन्दी टाईपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा।
5. मेरिट में दो आवेदकों को कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी, हिन्दी एंव अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी।
6. मेरिट सूची अनुसार अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन उपरांत अभ्यार्थी के नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
   समस्त प्रकार की सूचनाएं दमोह जिले की वेबसाइट **https://damoh.nic.in** पर जारी की जावेगी।

अपर कलेक्टर
जिला–दमोह